

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरसवनप्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 1692/14-1, दिनांक: हाथरस: दिसम्बर, 14 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्रेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पट्टरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओसी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०6/68/2022/एफ०सी०/311 दिनांक 24.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्रेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पट्टरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओसी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०स०	आपत्ति	निराकरण
1	DFO needs to take cognizance of the violation and initiate action as per FCA guidelines dated 15.05.2023 as directed and authorized by REC.	उक्त के अनुपालन में प्रयाक्ता अभिकरण के विलुद्ध एग०-2 केस संख्या-20/हाथरस/2022-23 दिनांक 25.07.2022 जारी कर उक्त प्रतिष्ठान इस कार्यालय के पत्रांक 293/14-1 दिनांक 3.07.2023 द्वारा बन्द करवाकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है। संशोधित एग०पी०बी० गणना रिपोर्ट संलग्नकर प्रेषित है। (संलग्नक-1,2,3)
2	A detailed report regarding the same shall be submitted to this office for sending the proposal to the ministry for further necessary action.	उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विस्तृत कालक्रम संलग्नकर प्रेषित है। (संलग्नक-4)

भवदीय,

(ड० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 1692/35-1 दिनांक

प्रतिनिधि-प्रबन्ध आई०ओसी०एल० आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ड० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक: 293 / 14-1; दिनांक: हाथरस: जुलाई: 3) , 2023

सेवा में,

श्री विनय कुमार गार्णैय,
पुत्र श्री नन्मूल गुप्ता,
मै0 सौभाग्य किलिंग स्टेशन, मीतई
हाथरस।

विषय:-

कार्यापरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ0सी0/174, दिनांक 09.06.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 3871/14-1, दिनांक 16.06.2023

सन्दर्भ:-

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में कार्यापरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया गया गया था कि आप मै0 सौभाग्य किलिंग स्टेशन, मीतई हाथरस को तत्काल प्रभाव से बन्द करना सुनिश्चित करें। पुरनु आपके द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को अभी तक बन्द नहीं कराया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मै0 सौभाग्य किलिंग स्टेशन, मीतई हाथरस को तत्काल प्रभाव से बन्द करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पत्रांक 293 / 14-1 दिनांक

1. प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मै0 सौभाग्य किलिंग स्टेशन, मीतई हाथरस को बन्द कराने की कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पो0 लि0, 65/2 संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

Revised detailed report on violation of the forest (conservation) Act 1980.

As per the site inspection, it has been observed that the user agency (IOCL)' has violated the provisions of the Forest (Conservation) Act. 1980 by constructing of approach Road for new retail outlet at the Protected Forest between km.03 of Agra-Hathras Road near village Metai Tehsil / Dist. Hathras without processing the case under the provisions of the Forest (Conservation) Act. 1980 and is liable for punishment under rule 3 (B) issued by the Assistant Inspector General of Forest Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Government of India) vide F.No. 11-42/017-FC dt.- 29.11.2018.

1. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per Hectare for each of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made.

2. In case of public utility projects of the govt. the penalty shall be 20% of the penalty proposed in Para(i) above.

The user agency has not followed the due procedure for forest land diversion and has constructed the said approach road some 3 years back as reported by Range Officer Hathras. The penalty as such calculated is as under:-

1. Total NPV (0.069777 x 957780) = Rs. 66,831.00
2. Penalty for 3 years=3x NPV= Rs. 200493.00
3. Simple Interest @ 12% in penalty amount= Rs. 24059.00
4. Total penalty amount= Rs. 224552.00
5. 20% of recoverable penalty amount (since the project is of public utility)= Rs. 44910.00

As per the standing Govt. orders/directions and keeping in view of the violation of Forest (Conservation) Act. 1980 the user agency is recommended to pay 20% of the penalty proposed in the Para (i) above which is calculated as Rs 44910.00 (forty four thousand nine hundred ten rs.only) and it is as such requested/recommended that the case may kindly be approved under the provisions of the FCA, 1980 please.


(**डा० चन्द्र प्रताप सिंह**)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

अतिरिक्त: 12/11/2018

कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उमोद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट समर्क मार्ग के निर्माणकार्यहेतु 0.069777 हे० संरक्षितवनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का कालक्रम

1. प्रकरण में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा दिनांक 30.06.2020 को प्रस्ताव ऑफलाइन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।
2. उक्त प्रस्ताव को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पूर्ण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1801/14-1 दिनांक 21.12.2021 द्वारा कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया, जिसे उनके कार्यालय के पत्रांक 2062/14-1 दिनांक 10.01.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया।
3. भारत सरकार की पत्र सं०-08बी/यू०पी०/06/68/2022/एफ.सी./146 दिनांक 21.06.2022 द्वारा उक्त प्रस्ताव में कतिपय आपत्ति लगायी गयी, (संलग्नक-1) जिसमें क०सं०-1 पर लगायी गयी आपत्ति (As per the Google earth, images dated 03.2022, existing structure of the petrol pump is observed in the proposed area diversion, this needs clarification) के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 3855/14-1 दिनांक 23.06.2022 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस से आख्या मंगी गयी।

4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस रेंज द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर लिया गया है। उक्त के क्रम में कार्यवाही स्वरूप, प्रयोक्त एजेंसी के विरुद्ध एच-2 केस निर्गत किया गया। (संलग्नक-2)

5. प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश दिनांक 03.05.2005 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.08.2022 द्वारा 04 बिन्दुओं की सूचना वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी (संलग्नक-3)

6. उक्त प्रेषित जॉय रिपोर्ट के आधार पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 13.03.2019 के द्वारा प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी एवं विभाग के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 633/2-1 दिनांक 25.08.2022, 634/2-1 दिनांक 25.08.2022 द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हेतु वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को लिखा गया। (संलग्नक-4)

7. प्रस्ताव में प्रभाग स्तर से परीक्षण करने एवं उचित कार्यवाही करने के उपरांत, इस कार्यालय पत्र दिनांक 30.08.2022 द्वारा कार्यापरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-5)

8. प्रस्ताव में वृत्त स्तर से परीक्षण करने एवं उचित कार्यवाही करने के उपरान्त, वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के द्वारा कार्यापरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

9. प्रेषित प्रस्ताव पर उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 18.09.2022 द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया।

10. भारत सरकार की पत्र सं०-08बी/यू०पी०/06/68/2022/एफ.सी./699 दिनांक 24.11.2022 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 1743/14-1 दिनांक 17.12.2022 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की आख्या वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी।

11. पुनः भारत सरकार की पत्र सं०-08बी/यू०पी०/06/68/2022/एफ.सी./174 दिनांक 9.06.2023 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 170/14-1 दिनांक 13.07.2023 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी।

12. तदोपरान्त भारत सरकार की पत्र सं०-08बी/यू०पी०/06/68/2022/एफ.सी./311 दिनांक 24.08.2023 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 612/14-1 दिनांक 30.08.2023 द्वारा आख्या संलग्नकर वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी।

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
परदिनांक 21/07/23.....

उल्लंघन की स्थिति

- प्रकरण में जनपद हाथरस में नगला उम्रेद-नगला भुसमार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० ०३ (चैनेज-२.४३) की बांयी पटरी खसरा संख्या-१० पर नवीनरिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग कार्य बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किया गया है एवं वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन विद्यमान है।

उल्लंघन हेतु दोषी प्राधिकरण/विभाग का नाम

- श्री विनय कुमार वाष्येय, प्रतिनिधि इण्डियन ऑयल कार्पो० लिमिटेड, संजय प्लेस आगरा-भारत सरकार के पूर्वानुमति के रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के कारण।

उल्लंघन हेतु दोषी प्राधिकरण/विभाग के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

१. प्रयोक्ता एजेंसी के विरुद्ध

जनपद हाथरस में नगला उम्रेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० ०३ (चैनेज-२.४३) की बांयी पटरी खसरा संख्या-१० में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग कार्य, भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना किये जाने के फलस्वरूप रेंज केस सं० २०/हाथरस/२०२२-२३ दिनांक २५.०७.२०२२ द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ की धारा-३३ के तहत एच०-२ केस निर्गत किया गया। विषयक निर्गत एच०-२ केस में अर्थदण्ड के साथ दण्डित करते हुए मु० ६०,०००.०० (साठ हजार रुपये मात्र) बसूल किया गया है। भारत सरकार की पत्र सं०-०८४बी/यू०पी०/०६/६८/२०२२/एफ.सी./३११ दिनांक २४.०८.२०२३ के अनुपालन में इस का र्याल य के पत्रांक २९३/१४-१ दिनांक ३१.०७.२०२३ द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को बन्द करा कर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोक दिया गया। उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात् निर्धारित दण्डात्मक एन०पी०वी० पेनल्टी स्वरूप, कैप्पा मद में जमा करायी जायेगी।

(डा० बन्धु पनाथ सिंह)
प्रधान वै वन अधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक १२.०८.२३